न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./5796/2005/भरतपुर

1– एम्यूनेशन डिपो, भरतपुर जरिये कमाण्डेन्ट ऑफिसर एम्यूनेशन डिपो, भरतपुर (राज0)

------ अपीलांट

बनाम

1– चौखेलाल पुत्र तोताराम जाति जाट निवासी कन्जौली तहसील व जिला भरतपुर राज0 ।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर राज0 ।

------- रैस्पोडेंटस

एकल पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री ओ0 एल0 दवे अभिभाषक अपीलांट।
2– श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांकः 17–07–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, अति0 सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्धारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 79/03/55/05 शीर्षक चौखेलाल बनाम एम्यूशिन डिपो आदि को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चौखेलाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक ख0 नं0 136 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का प्रार्थी खातेदार काश्तकार था तथा इस नम्बर में से 14 बिस्वा रकबा अप्रार्थी सं0 1 ने एक्चायर कर लिया जिसका दाखिला सं0 195 खोला गया। बाद दाखिले के वाद 14 बिस्वा रकबा कम कर जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में इस नम्बर का रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी में आया तथा आज तक प्रार्थी गत रकबे के मुकाबले 1 बीघा 16 बिस्वा पर काबिज है। बन्दोबस्त विभाग ने प्रार्थी के गत खसरा

नम्बर 136 से हाल नम्बर 54/0–12 व 55/0–25 बनाये हैं। इन नम्बरों में से खसरा नम्बर 54 की तो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु ख0 नं0 55 को अप्रार्थी की खातेदारी में मौके के विरूद्ध दर्ज कर दिया। अतः हाल ख0 नं0 55 में से 17 ऐयर रकबा प्रार्थी के खाते में दर्ज कर साबिक रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 29–7–2003 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर के यहां प्रस्तुत की जिनके द्धारा दोनों पक्षों को सुना जाकर दिनांक 31–8–2005 को अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दिनांक 31–8–2005 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है।

3– अपील पर उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगण को सुना गया।

4– विद्धान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज किया कि रेस्पोडेन्ट चोखेलाल को गलत इन्द्राज की जानकारी कब हुई तथा यह तथ्य अपीलीय न्यायालय ने अंकित नहीं किया क्योंकि रेस्पोडेन्ट ने कोई दस्तावेज उसकी आराजी के एक्वायर होने का प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये। अपीलांट हिन्दुस्तान की सुरक्षा एजेन्सी है तथा जिसकी परिधि में किसी भी दीगर व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश वर्जित है तथा मुताबिक जमाबन्दी ख0 नं0 55 गै0मु0 सड़क है जो राज्य सरकार में निहित है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हुआ अथवा नहीं यह तथ्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से तय होने थे। विचारण न्यायालय का मौका रिपोर्ट के अनुसार विधिसम्मत एवं कानून सम्मत निर्णय है। उक्त प्रकरण नियमित वाद से ही निस्तारित होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर ली और ना ही मौखिक साक्ष्य ली जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 31–8–2005 निरस्त किया जावें एवं विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 29–7–2003 बहाल रखा जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषकगण रेस्पोडेन्ट सं0 1 का तर्क है कि प्रश्नगत आराजी साबिक ख0 नं0 136 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार चौखेलाल था जिसमें से 14 बिस्वा रकबा एम्यूनिशन डिपो ने अधिगृहित कर लिया जिसका नामान्तकरण सं0 195 खोला गया। जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में इस नम्बर का 1 बीघा 16 बिस्वा चौखेलाल की खातेदारी में आया जिस पर वह काबिज है। बन्दोबस्त विभाग को साबिक रेकार्ड के अनुसार ही इन्द्राज करने चाहिए थे किन्तु बन्दोबस्त विभाग ने रकबा कम दर्ज किया है जबकि बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं था। मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 4–2–2002, तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 21–10–2005, मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए अपीलीय न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त बताकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–2003 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 136 में से 0–14 बिस्वा आराजी अप्रार्थी सं. 1 ने एक्वायर कर लिया, एक्वायर किये जाने का कोई आदेश प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। जहां तक खसरा नम्बर 55/0.25 ऐयर में से 0.17 ऐयर रकबा प्रार्थी की खातेदारी में किये जाने का है। वह रकबा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 में गैर मुमकिन सड़क होकर महकमा एम्यूनिशन डिपो के नाम दर्ज है। मुताबिक नक्शा ट्रेस में भी विवादित आराजी ख0 नं0 55 में सड़क होना दर्शाया गया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–8–2005 में अंकित किया है कि ख0 नं0 136 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बन्दोबस्त के अनुसार 28 ऐयर होना चाहिए था जबकि अपीलांट के खाते में हाल ख0 नं0 54 का केवल 12 ऐयर रकबा ही अंकित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 4–2–2002 में यह स्वीकार किया है कि एम्यूनिशन डिपो के नाम गत खसरा नम्बर 136 का रकबा 14 बिस्वा ही है जिसका हाल रकबा 25 ऐयर न होकर 12 ऐयर ही होना चाहिए और इस प्रकार पटवारी हल्का ने भी इन्द्राज दुरूस्ती को उचित बताया है।

7– पटवारी रिपोर्ट दिनांक 4–2–2002 में यह भी अंकित है कि गत खसरा नम्बर का कुल रकबा 0.40 ऐयर होना चाहिए था जबकि दोनों नम्बरान का कुल रकबा 0.37 ऐयर ही बनाया है जो गत के मुकाबले

0.03 ऐयर कम पाया है। इसी तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का ने दिनांक 30–9–2005 में भी की गई है।

8– रेस्पोडेन्ट चौखेलाल ने न तो जमीन एक्वायर होने का कोई दस्तावेज ही पेश किया, न ही मिलान क्षेत्रफल पेश किया जिससे यह सिद्ध हो कि वास्तव में उसकी पहले जमीन एम्यूनिशन डिपो के नाम गैर मुमकिन सड़क दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति की अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अति0 सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्धारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–2005 अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्धारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य